न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 6/2024
जीसीएमएस : 2024/41

01. ज्ञानीराम पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।

–:प्रार्थी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. कृष्णलाल पुत्र श्री मूलाराम जाति कुम्हार साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूराराम जाति कुम्हार साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. भजनलाल पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. कुलविन्द्रकौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री चमकौर सिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.।
7. गुरप्रीतसिंह पुत्र श्री सरजीतसिंह जाति जटसिख साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
8. छिन्द्रपाल कौर पुत्री श्री सरजीतसिंह पत्नी श्री सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन झोटावाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
9. जसपालकौर पत्नी श्री सरजीतसिंह जाति जटसिख साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
10. मेजरसिंह पुत्र श्री जलावरसिंह जाति जटसिख साकिन 31 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:–26.02.2024

उपस्थित: 1.श्री गुरप्रतापसिंह प्रार्थी अधि.।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण।

दिनांक 19.03.2025

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 85 एल.एन.पी. के खाता संख्या 57/45 में पं.नं. 118/297, मु.नं. 17 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक 0.228है., 9/0.253, 10/0.253, कुल खाता योग 1.709 है. नहरी भूमि खातेदारी आवेदक ज्ञानीराम के अकेले की खातेदारी एवं संयुक्त खाता संख्या 52/111 में पं.नं. 118/298 मु.नं. 24 के कि.नं. 8/1 [illegible] है., 9 ता 12 प्रत्येक 0.253है., 13/2 की 0.126 है कुल खाता [illegible] 1.264 है. नहरी में आवेदक ज्ञानीराम का 1/2 हिस्सा [illegible] है। आवेदक को अपने रकबा में स्वयं व कृषि यंत्र, बड़ी कम्बाईन, बिड़ लगी बड़ी ट्रालिया, कल्टीवेटर आदि सहित प्रवेश करने के लिये आबादी 31 एम.एल. व 85 एल.एन.पी. को जोड़ने वाले आम चालू स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

रास्ता से होते हुय चक 85 एल.एल.पी. के मुरब्बा नं. 27 में प्रवेश कर आगे इस मुरब्बा नं. 27 में अनावेदकगण बनवारीलाल–वेदप्रकाश–कृष्णलाल–नरेन्द्रकुमार के कि.नं. 21–20–11–10–1 के पश्चिमी पासा व उससे आगे मुरब्बा नं. 24 में अनावेदगण भजनलाल, कुलविन्द्रकौर वगैरा व आवेदक के किलाजात नं. 21,20,11,10,1 के पश्चिमी पासा व उससे आगे मुरब्बा नं. 17 में अनावेदक मेजर सिंह व आवेदक ज्ञानीराम के किलाजात नं. 21,20,11,10 के पश्चिमी पासा में गत 10–12 सालों से चले आ रहे अस्वीकृत चालू रास्ता से आवेदकगण अपनी भूमि मु.नं. 17 में स्थित भूमि में प्रवेश करता है अनावेदकगण के रकबा में चले आ रहे उक्त अस्वीकृत चालू रास्ता को स्वीकृत करने से आवेदगण के अलावा अन्य काफी काश्तकारान लाभान्वित होगे तथा इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, सुगम, नजदीकी, सुविधाजनक रास्ता आवेदगण को अपनी जोत में पहुंच के लिये उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने के आवेदकगण कानूनी अधिकार रखता है, इसलिये यह आवेदन पेश किया जा रहा है। अतः आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर उनकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ वाके चक 85 एल.एन.पी. के मुरब्बा नं. 27 में अनावेदगण बनवारीलाल व वेदप्रकाश के कि.नं. 21 व 20 में एक–एक बिस्वा कुल दो बिस्वा अर्थात 0.026 है. पश्चिमी पासा, अनावेदक कृष्णलाल के कि.नं. 11 में एक बिस्वा अर्थात 0.013है., पश्चिमी पासा, अनावेदक नरेन्द कुमार के कि.नं. 10 व 1 में एक–एक बिस्वा कुल दो बिस्वा अर्थात 0.026 पश्चिमी पासा एवं इसी चक के मुरब्बा नं. 24 में अनावेदक भजनलाल के कि.नं. 21–20 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा कुल दो बिस्वा अर्थात 0.026 हे. पश्चिमी पासा, अनावेदगण संख्या 6 ता 9 कुलविन्द्रकौर बगैरा व आवेदक ज्ञानीराम के कि.नं. 11 व 10 प्रत्येक में से एक–एक बिस्वा कुल दो बिस्वा अर्थात 0.026है. पश्चिमी पासा, अनावेदकगण संख्या 6 ता 9 कुलविन्द्रकौर वगैरा के कि.नं. 1 में एक बिस्वा अर्थात 0.013 है. पश्चिमी एवं इसी चक के मुरब्बा नं. 17 में अनावेदक भजनलाल के कि.नं. 21,20 व 11 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा कुल तीन बिस्वा अर्थात 0.039 है. पश्चिमी पासा व मिन आवेदक के कि.नं. 10 में एक बिस्वा अर्थात 0.013 है. पश्चिमी पासा, तीनों मुंरब्बाजात में कुल 14 बिस्वा अर्थात 0.182 है. चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थीगण की तामिल होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी[illegible] खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक रा[illegible] 2024/819 दिनांक 17.05.2024 से अवगत करवाया है कि [illegible] रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 85 ए[illegible] नं. 118/297 मु.नं. 17 कि.नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 8/1, 9–10 कुल 1.709 है. नहरी खाला ज्ञानीराम पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार साकिन 31

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

एमएल के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, अप्रार्थीगण बनवारीलाल–बेदप्रकाश पि. रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन उड़सर के नाम से चक 85 एल.एन.पी. खाला सं. 85 पं.नं. 118/299 मु.नं. 27 कि.नं. 13/1, 14–15/1–15/2–16/2–16/2–17 ता 25 कुल 3.162 नहरी खाला, गैर मु. रास्ता व कृष्णलाल पुत्र मूलाराम कुम्हार साकिन 31 एम.एल. के नाम खाता सं. 25 पं.नं. 118/299 मु.नं. 27 कि.नं. 6/1, 6/2, 7–8–9/1–11–12–13/2 कुल 1.582 है.नहरी खाला व नरेन्द्रकुमार पुत्र भूराराम कुम्हार साकिन 31 एमएल के नाम खाता सं. 95 पं.नं. 118/299 मु.नं. 27 कि.नं. 1 ता 5, 9/2–10 कुल 1.581 है. नहरी खाला व भजनलाल पुत्र हरिराम बिश्नोई सा. उड़सर के नाम खाता सं. 96 पं.नं. 118/298 मु.नं. 24 कि.नं. 20 ता 22–25/1–25/2 कुल भूमि 1.012 है कुल भूमि 1.012 है. नहरी खाला व कुलविन्द्रकौर–गुरप्रीतसिंह–छिन्द्रपालकौर पि. सरजीतसिंह 3/8 हिस्सा, जसपालकौर पत्नी सरजीतसिंह 1/8 हिस्सा जाति जटसिख, ज्ञानीराम पुत्र गोपीराम 1/2 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन 31 एमएल, खाता संख्या 52 पं.नं. 118/298 मु.नं. 24 कि.नं. 8/1 ता 13/2 कुल 1.264 है. नहरी व मेजरसिंह पुत्र जलावरसिंह जटसिख साकिन 31 एमएल खाता नं. 107 पं.नं. 118/297 मु.नं. 17 कि.नं. 11 ता 23/2 कुल 3.163 है. नहरी खाला खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को खेत में आवागमन हेतु चक 85 एल.एन.पी. पं.नं. 118/299 मु.नं. 27 के कि.नं. 1,10,11,20,21, पं.नं. 118/298 मु.नं. 24 के कि.नं. 1,10,11,20,21, पं.नं. 118/297 मु.नं. 17 के कि.नं. 11–20–21 में रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत/वैकल्पिक रास्ता मौका पर नहीं है। प्रकरण में चक 85 एलएनपी के मु.नं. 27 पं.नं. 118/299 के कि.नं. 1,10,11,20,21, मु. नं. 24 पं.नं. 118/298 के कि.नं. 1,10,11,20,21, मु.नं. 17 पं.नं. 118/297 के कि.नं. 11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता ही निकटतम दूरी पर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन मुताबिक रिकार्ड दर्ज नहीं है।

4. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि प्रार्थी को खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] रायसिंहनगर को गै. मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये [illegible]

5. हमने विद्वान अधिव[illegible] उस पर गौर किया। प्रार्थना [illegible] तहसीलदार [illegible]सिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख [illegible] संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं [illegible] नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि चक 85 एलएनपी के मु.नं. 27 पं.नं. 118/299 के कि.नं. 1,10,11,20,21, मु.नं. 24 पं.नं. 118/298 के कि.नं.1,10,11,20,21,मु.नं. 17 पं.नं. 118/297 के कि.नं. 11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशषां की है। स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 85 एलएनपी के मु.नं. 27 पं.नं. 118/299 के कि. नं. 1,10,11,20,21, मु.नं. 24 पं.नं. 118/298 के कि.नं. 1,10,11,20,21, मु.नं. 17 पं.नं. 118/297 के कि.नं. 11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा कुल 0.182 है.गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जाम करवाये। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:45 IST
Reason: SelfAttested